ई-मेल

संख्या-130/40-2025/002-1-बजट-2-2025

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2025

विषयः जिला एकीकरण समितियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कराये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित जिला एकीकरण समितियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-415/चालीस-12-17(27)/89, दिनांक 14 जून, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला एकीकरण समितियों को उक्त शासनादेश दिनांक 14 जून, 2012 में उल्लिखित प्रयोजनों पर ही व्यय हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) की धनराशि अर्थात् प्रदेश के कुल 75 जनपदों के लिए कुल रूपये 15,00,000/-(रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- संदर्भित शासनादेश में वर्णित दिशा-निर्देशो के अनुसार वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी अर्थात प्रत्येक तीन मास में एक बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

4- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये तथा प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-03-2026 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें इस तथ्य का प्रमाण होगा कि धनराशि उन्हीं मदों में खर्च की गई है, जिसके निमित्त धनराशि अवमुक्त की गई थी तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 31-03-2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं धनराशि व्यय करने में सुसंगत वित्तीय नियमों का अवश्य पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 15,00,000 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-53 लेखा शीर्षक 2070008000900 जिला एकीकरण समितियों पर व्यय मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
JITENDRA KUMAR
Date: 21-05-2025
15:07:58

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 130(1) /40-2025/002-1-बजट-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।

(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज ।

(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज ।

(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. 40-1099/5/2025-राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-1-National Integration Department (Computer No. 1915348)